बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र बिहार विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि ८ दिसम्बर, १९६६ को पूर्वाह्न ११ बजे डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं बिहार विधान-सभा के सत्र फरवरी से अप्रील, १९६६ ई० के १,२९१ तारांकित प्रश्नों में से ११५ प्रश्नों के उत्तर† सदन के पटल पर रखता हूं।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

स्वर्णकारों की गिरफ्तारी।

*१। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) कितने स्वर्णकार इस राज्य में स्वर्ण नियंत्रण आदेश के विरुद्ध आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए ;

(२) उनको कारामुक्ति का आदेश कब दिया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

*श्री जनार्दन तिवारी—श्री कर्पूरी ठाकुर, जो इस प्रश्न के प्रश्नकर्त्ता हैं, अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। चूंकि यह अल्पसूचित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए इसे पूछने की अनुमति मैं चाहता हूं।

अध्यक्ष—अगर प्रश्नकर्त्ता इस प्रश्न के महत्व को समझते तो सदन से अनुपस्थित नहीं रहते। लोक-सभा में एक ही प्रश्न के कई प्रश्नकर्त्ता रहते हैं और उस प्रश्न के सामने उनका नाम अंकित रहता है। आपको भी अपना नाम देना चाहिये।

---

*प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री जनार्दन तिवारी के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

† कृपया परिशिष्ट देखें।

बकाये वेतन का भुगतान ।

११५८ । श्री रामराज प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री सूर्य मणी शास्त्री, बिहार संस्कृत विद्यालय, बिहार-शरीफ (पटना) के अध्यापक हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री शास्त्री का १९६४-६५ का ७६८ (सात सौ अरसठ) रुपया तथा १९६५-६६ का ७९२ (सात सौ बानवे) रुपया का माहवारी वेतन बाकी है ;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त बकाया वेतन के भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है तथा सरकार कबतक इसका भुगतान करना चाहती है ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) जहांतक श्री शास्त्रीजी को वेतन की पूर्णतः-चुकती का प्रश्न है इसपर विशेष रूप से छानबीन की जा रही है ।

अराजकीय संस्कृत संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन देने की जवाबदेही स्थानीय प्रबंध समितियों पर है न कि सरकार पर। सरकार अराजकीय संस्कृत संस्थाओं को केवल पूरक तथा वर्द्धित वेतन देने के लिये एक मुश्त अनुदान स्वीकृत करती है । श्री शास्त्रीजी को वर्द्धित वेतन देने के लिये १९६४-६५ में ४०९ रु० ८७ पैसे तथा १९६५-६६ में ४३३ रु० ८७ पैसे का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है । १९६४-६५ के वर्द्धित वेतन की राशि विद्यालय के मंत्री ने खजाने से निकाल भी ली है । १९६५-६६ के अनुदान की राशि भी संभवतः उन्होंने खजाने से प्राधिकार प्रत्रक प्राप्त कर निकाल लिया होगा । अब विस्तृत रूप से इसकी जांच विद्यालय के लेखा इत्यादि से की जा रही है क्योंकि श्री शास्त्री के वेतन का भुगतान मंत्री द्वारा नहीं किया जा सका है ।

(३) इसकी पूरी जांच की जा रही है और श्री शास्त्री के वेतन स्थानीय प्रबन्ध समिति से दिलवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

बकाये रकम का भुगतान ।

११५९ । श्री राम कृष्ण राम—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या १५६२, दिनांक ९ अगस्त, १९६४ में श्री रमेश चन्द्र सिंह, अवकाश-प्राप्त जिला विद्यालय निरीक्षक, पलामू को ८५० रु० ४५ पैसे का ग्रैच्यूटी स्वीकृत किया है, यदि हां, तो उनको यह रकम अभीतक क्यों नहीं दी गई है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—लेखा संबंधी अनियमितताओं के कारण श्री रमेश चन्द्र सिंह से ८९१ रु० ४५ पैसे वसूल करना है । शिक्षा विभाग के पत्रांक १५६२, दिनांक १ अगस्त, १९६५ द्वारा उनको कुल ४,९१४ रु० मृत्यु सह-निवृत्ति उपदान स्वीकृत किया गया था परन्तु

महालेखापाल को यह आदेश दिया गया था कि ८६१ रु० ४० पैसे का भुगतान अभी नहीं किया जाये । ८६१ रु० ४५ पैसे को ४,६१४ रुपये से काट लिया जाये या नहीं इस प्रश्न पर पूरी समीक्षा के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

प्रधानाध्यापक की नियुक्ति ।

११६०। श्री राजपति राम—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिला अन्तर्गत रानेश्वर अंचल २ के उच्च प्राथमिक विद्यालय, तकीपुर में श्री गिरीश पासवान सहायक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे, जिन्होंने छुट्टी लेकर १६६५ की वार्षिक परीक्षा में बी० ए० पास कर लिया है ;

(२) यह बात सही है कि इनकी बदली उपर्युक्त विद्यालय से हो गई और वर्त्तमान समय में वे संथाल परगना जिला अन्तर्गत जामा अंचल के माध्यमिक विद्यालय, अमला चातर में तिथि ३१ जुलाई, १६६५ से कार्य कर रहे हैं ;

(३) क्या यह बात सही है कि माध्यमिक विद्यालय, अमला चातर में जब श्री पासवान एक स्नातक होते हुए कार्य कर ही रहे थे तो इनकी पदोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर न करके वहां दूसरे व्यक्ति को प्रधानाध्यापक बना कर भेजा गया ;

(४) क्या यह बात सही है कि इन्होंने उच्च प्रा० विद्यालय, तकीपुर से अंचल शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रानेश्वर अंचल २ के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका के पास अपनी योग्यता वृद्धि की सूचना देते हुए योग्यता के अनुसार वेतन-वृद्धि एवं पदोन्नति के लिये जुलाई, १६६५ में आवेदन-पत्र भेज दिया है तथा माध्यमिक विद्यालय, अमला चातर से भी उन्होंने उचित माध्यम द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका को वेतन-वृद्धि एवं पदोन्नति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है जो डिप्टी इंसपेक्टर, दुमका सदर के कार्यालय से तिथि १८ जनवरी, १६६६ को जिला शिक्षा अधीक्षक के पास अग्रसारित किया जा चुका है ;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) श्री गिरीश पासवान ३१ अगस्त, १६६५ से संथाल परगना जिलान्तर्गत जामा अंचल के माध्यमिक विद्यालय, अमला चातर में कार्य कर रहे हैं ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) श्री पासवान के जुलाई, १६६५ का आवेदन-पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । दिनांक २२ दिसम्बर, १६६५ का आवेदन-पत्र विद्यालय उप-निरीक्षक, दुमका के पत्र संख्या ६७, दिनांक १८ जनवरी, १६६६ के साथ शिक्षा अधीक्षक को प्राप्त हुआ है ।

(५) चूंकि श्री पासवान की योग्यता बी० ए० प्रशिक्षित है, इसलिये उक्त विद्यालय में इन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है । इस विद्यालय में आई० ए० प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक हैं । श्री पासवान की योग्यता प्रथम नियुक्ति के समय १६६३ में अप्रशिक्षित आई० ए० थी और तदनुसार इन्हें वेतनमान प्राप्त है । बी० ए० पास का पद रिक्त होने पर योग्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति प्रधानाध्यापक पद पर हो जायेगी ।